न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–09 / 2020

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम कपिल कुमार यादव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25/2/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1338 / म0नि0को0 दिनांक–29.12.2019 से प्राप्त मनीगाछी थाना कांड सं0–249 / 19 दिनांक 26.11.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त पल्सर मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR32V-1241 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाहन स्वामी परवेज आलम को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में वाहन स्वामी की ओर से आवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस को गश्ती के क्रम में सूचना मिली के एक मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति सवार है और बोरा में शराब लेकर जा रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु ग्राम चनौर दुर्गा मंदिर के पास पहुँचा तो मोटरसाईकिल पर सवार व्यक्ति पुलिस गाड़ी को देखते ही भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल के सहयोग से मोटरसाईकिल सहित पकड़ा गया। पकड़ाये मोटरसाईकिल पर रखे बोरा में वहाँ उपस्थित व्यक्ति के समक्ष विधवत् तलाशी ली गयी तो, बोरा में रखे कैसिनो प्राइड विदेशी शराब 180*ml* का 24 बोतल बरामद हुआ, जिसे मोटरसाईकिल के साथ विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी वाहन स्वामी परवेज आलम की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उक्त जब्त वाहन रजि0 नं0–BR32V-1241 मोटरसाईकिल को उन्होंने दिनांक 01.02.2019 को कपिल कुमार यादव, पे0–शिबु यादव को शपथ पत्र के माध्यम से बेच दिया और उसके सुपुर्द कर दिया, उन्हें उक्त वाहन से कोई सरोकार नहीं है। उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त वाहन पल्सर मोटरसाईकिल BR32V-1241 से परिवहन कर ले जाने के क्रम में मोटरसाईकिल पर रखे बोरा में से 180*ml* का 24 पीस कैसिनो प्राईड विदेशी शराब बरामद हुआ, जिसे विधिवत् पुलिस द्वारा जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि	

उन्होंने उक्त जब्त वाहन को दिनांक 01.02.2019 को शपथ पत्र के माध्यम से बेच दिया, शपथ पत्र संलग्न किया गया है। उक्त वाहन से कोई सरोकार नहीं है बताया गया है। परन्तु जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के अनुसार अभी तक वाहन उन्हीं के नाम पर है। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वाहन के संबंध में दावा भी नहीं किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में मनीगाछी थाना कांड सं0–249/19 दिनांक 26.11.2019 में जब्त वाहन पल्सर मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR32V-1241 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा